राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक :- 9464 दिनांक 11-8-06

शहरी जन सहभागी योजना के कियान्वन हेतु संशोधित दिशा निर्देश

राज्य सरकार के निर्णयानुसार दिनांक 08 दिसम्बर 2004 को प्रारम्भ की गयी शहरी जन सहभागी योजना में जिला कलक्टर्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर इस योजना के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार संशोधित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

योजना के दो मुख्य भाग हैं :-

1. जन चेतना।
2. विकास कार्य।

1. जन चेतना शिविर हेतु निर्देश :-

- ✓ इस योजना के संबंध में जन जागृति के लिए वार्ड विकास समितियों/रेजीडेंट वेल्फेयर सोसायटीज का गठन कर जन चेतना शिविरों का आयोजन किया जावेगा।
- ✓ वार्ड विकास समितियो/रेजीडेंट वेल्फेयर सोसायटीज में 5 से 30 सदस्य निम्नलिखित में से सम्मिलित किये जावेंगे :- वार्ड में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाएँ, व्यापार संघों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, वार्ड पार्षद, एवं वार्ड के गणमान्य नागरिक।
- ✓ शिविर जाजम/चौपाल व्यवस्था के तहत लगाये जायेंगे। इसमें टैन्ट, पीने का पानी, माइक, इत्यादि हेतु अधिकतम 1500 रूपये का व्यय नगर निकाय स्वयं के संसाधनों से करेगी। इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी जन समुदाय एवं प्रत्येक शहरी गरीबों तक उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जावेगा।

2. विकास कार्य :-

(अ) स्वीकृत योग्य कार्य

- ✓ राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों/चिकित्सालयों/पशुचिकित्सालयों/कार्यालयों के लिए भवन व सुविधाओं हेतु समस्त स्थायी निर्माण, छात्रों हेतु शैक्षिक/सहशैक्षिक व खेल कूद सामग्री, चिकित्सालयों हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय।
- ✓ पानी की निकासी हेतु नाली एवं पुलिया निर्माण, हैण्डपम्प व अन्य पेयजल व्यवस्था, तथा जल संग्रहण से जुडे कार्य, समस्त प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं हेतु सार्वजनिक सम्पतियों का निर्माण, नगर पालिका सीमा में सडक, उद्यानों, चौराहों इत्यादि का सौन्दर्यकरण।
- ✓ अन्य किसी योजना में निर्मित अधूरे निर्माण कार्यो को पूर्ण करवाना (मरम्मत, रंगाई, पुताई नहीं)। इस हेतु शेष कार्य का सक्षम अभियंता से विस्तृत तकनीना बनाया जाकर नये कार्य के रूप में कार्य कराया जावेगा ।

(ब) वितीय व्यवस्था :-

✓ कार्य की कुल लागत का 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप मे, न्यूनतम 30 प्रतिशत जन सहयोग एवं शेष राशि संबंधित नगर निकाय, UIT, अन्य विभाग द्वारा वहन की जावेगी। परन्तु यह राशि किसी अन्य योजना या राजकोष से वहन नहीं की जावेगी।

✓ नगर निकाय, यू.आई.टी. व पेरास्टेटल विभाग, जो राज कोष से भिन्न 20 प्रतिशत राशि का अंश वहन कर रहे है,-के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति/संस्था, संगठन, संघ, ट्रस्ट, फण्ड द्वारा वहन की गई राशि जन सहयोग माना जावेगा। परन्तु इसमें एम.पी. या एम.एल.ए. फण्ड की राशि शामिल नही की जा सकेगी।

✓ जन सहयोग की देय राशि व्यय होने के पश्चात ही निकाय, यू.आई.टी. पेरास्टेट्ल एजेन्सी तथा राज्यांश की राशि व्यय की जा सकेगी।

(स) क्रियान्विति :-

✓ संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा कार्य स्वीकृति के आदेश जारी करने के पश्चात् निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कार्य लागत की 50 प्रतिशत राज्यांश राशि संबंधित कार्यकारी एजेन्सी के पी.डी. खाते में हस्तांतरण की जावेगी।

✓ सभी जिला कलक्टर्स अपने स्वीकृति आदेश में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख करेंगे:-
- कार्य का पूरा नाम एवं कार्य की लागत।
- जन सहयोग की जमा राशि एवं उसका प्रतिशत एवं राशि जमा कराने की तिथि।
- संस्था का नाम जिसके पीडी अकाउण्ट में जन सहयोग की राशि जमा करवाई गयी ।
- दानदाता का पूरा नाम एवं पता।
- कार्य क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी संस्था का नाम।
- कार्य प्रारम्भ की तिथि व कार्य पूर्ण करने की अवधि

✓ जिन प्रकरणों में नगरीय निकाय द्वारा अंश दान दिया जाना है, उन प्रकरणों में नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार निर्वाचित मण्डलों में निहित होगे तथा कार्यकारी एजेन्सी भी संबंधित नगरीय निकाय ही होगें। अन्य मामलों में कार्यकारी एजेन्सी जिला कलेक्टर तय कर सकेगें, जो नियमानुसार प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति जारी कर कार्य क्रियान्वित करवायेगी।

✓ जिन विकास कार्यों में जन सहयोग राशि 50 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्त हो रही है उनमें जिला कलेक्टर प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी कर कार्यकारी एजेन्सी का निश्चय कर सकेगें।

निर्माण कार्य कराने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक क्रियान्वयन समिति गठित की जावेगी जिसमें दानदाता/सहभागी संस्था आवश्यक रूप से सदस्य होगें। यह समिति नियमानुसार शीघ्र निविदायें आमंत्रित कर अपनी देखरेख में निर्माण कार्य करा सकेगी।

ऐसे प्रकरणों में सृजित परिसम्पत्तियों का नामकरण दानदाता के नाम पर करने की अनुमति जिला कलक्टर द्वारा गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना के बिन्दु संख्या 8 के प्रावधानानुसार दी जा सकेगी।

यदि दानदाता अपने अंश की राशि स्वयं अपनी देख–रेख में व्यय करवाना चाहता है, तो जिला कलेक्टर की स्वीकृति से दान–दाता स्वयं के अंश का कार्य करवा सकेगा। शेष कार्य का तकनीकी मूल्यांकन जिला कलेक्टर द्वारा करवाया जाकर नियमानुसार निविदा प्रकिया की पालना करते हुए राज्यांश से कार्य पूर्ण करवाया जा सकेगा। राज्यांश की राशि व्यय करने हेतु दानदाता को अनुमत नहीं किया जा सकेगा।

(द) अन्य

✓ योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पतियां संबंधित नगरीय निकाय/राज्य सरकार की सम्पत्ति होगी।

✓ निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग या अन्य अभियांत्रिकी विभागों में पद स्थापित पूर्णकालिन राजकीय तकनीकी अधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

✓ कार्यकारी एजेन्सी द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण, उपयोगिता प्रमाण–पत्र व कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व व पश्चात के फोटोग्राफ संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जावेगा।

✓ इस योजनान्तर्गत किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक व्यय अनुमत नहीं होगा।

✓ योजना से संबंधित किसी भी बिन्दु के संबंध में स्पष्टीकरण, योजना प्रावधान में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन एवं विवाद आदि का निपटारा निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर किया जावेगा।

उप शासन सचिव

कमांक : एफ.8( )लेखा/राजसभा/डीएलबी/पीडी/2006–07/9465 – 9490 दिनांक : 11-8-06

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त।
5. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका।
7. समस्त जिला परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी।
8. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास।
9. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
10. आयोजना शाखा, निदेशालय जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर

क्रमांकः एफ. 8(9)/लेखा/शजसभा/डीएलबी/पीडी/2006–07/6891 दिनांक 21-7-08

संशोधित परिपत्र

विषयः– शहरी जन सहभागी योजना के क्रियान्वयन हेतु संशोधित दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक एफ 8(9)/लेखा/शजसभा/डीएलबी/पीडी/2006–07/9764 दिनांक 11.08.06 के बिन्दु संख्या–2 (स) में योजना की क्रियान्विती हेतु तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बारे में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1. जिन प्रकरणों में नगरीय निकाय/नगर विकास न्यास द्वारा अंशदान दिया जाता है, परन्तु कार्य की कुल लागत विभागीय परिपत्र Edtt./(M)/F-10(240)SE/DLB/83/1871 दिनांक 15.07.06 के द्वारा संशोधित राजस्थान नगर पालिका (क्रय एवं अनुबंध) नियम, 1974 के नियम –14 में नगरीय निकाय की निर्धारित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, सीमा से अधिक है, अभी तक उनकी स्वीकृति निदेशालय स्तर पर दी जाती थी, अब उन मामलों में भी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधित जिला कलेक्टर जारी कर सकेंगे।
2. रूपये 150 लाख तक की तकनीकी स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर, जिले में कार्य के संबंधित विभाग (Line Deptt.) के अधीक्षण अभियंता से जारी करवायें।

विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः एफ. 8(9)/लेखा/शजसभा/डीएलबी/पीडी/2006–07/6892-7154 दिनांक 21-7-08

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. जिला कलेक्टर, ...।
2. निजी सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, राज0 जयपुर।
3. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राज.।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिकाएं राजस्थान।
5. जिला परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/नोडल अधिकारी, एसजेएसआरवाई।
6. सुरक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर

क्रमांक: एफ. 8 (11) लेखा/श.ज.स.यो./पीडी/स्थानि/08–09/ 14360 दिनांक 25-1-2010

आ दे श

विभागीय बजट 2009–10 में कब्रिस्तान एवं श्मशान भूमि में आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए शहरी जनसहभागी योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त करने थे। इस प्रकार के प्रस्ताव कम प्राप्त होने की स्थिति में विभाग द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी किये आदेश क्रमांक एफ.-8 लेखा/श.ज.स.भा./पीडी/06–07/ 9464, दिनांक 11.08.2006 में शिथिलता प्रदान करते हुए कब्रिस्तान एवं श्मशान भूमि में आवश्यक सुविधाऐं हेतु जनसहयोग के प्रस्तावों के लिए वित्तीय प्रावधान क्रमशः इस प्रकार होगें "प्रस्तावित कार्य की कुल लागत का 25 प्रतिशत जनसहयोग या 10 प्रतिशत जनसहयोग अंश, 15 प्रतिशत नगर निकाय अंश तथा शेष 75 प्रतिशत राज्यांश राशि" के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। जनसहयोग के प्रबंधन एवं उपयोग के संबंध में शेष प्रावधान यथावत रहेंगें।

25.1.2010
उप शासन सचिव

क्रमांक: एफ. 8 (11) लेखा/श.ज.स.यो./पीडी/स्थानि/08–09/ 14361-611 दिनांक 25-1-2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, समस्त।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
8. जिला परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/नोडल अधिकारी, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, समस्त।
9. सचिव, नगर सुधार न्यास, समस्त।
13. मुख्य लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।

25/1/2010
परियोजना निदेशक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक : एफ 8 (11)लेखा/शजसयों/पीडी/स्थानि/08-09/ 1749 दिनांक : 23-4-10

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) ने बजट 2010-11 में की गई घोषणा के क्रम में उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.8 (11) लेखा/शजसयों/पीडी/स्थानि/08-09/14360 दिनांक 25.01.2010 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

इस घोषणानुसार शहरी क्षेत्रों के लिये मी सहभागिता योजना के अनुरूप श्मशान एवं कब्रिस्तान भूमि की चार दिवारी निर्माण के लिए 10 प्रतिशत राशि जन सहयोग से प्राप्त होने की दशा में शेष 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी। इस संबंध में 10 प्रतिशत राशि प्राप्त होने की स्थिति में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला कलेक्टर कार्यालय से ही जारी की जायेगी एवं जनसहयोग के प्रबंधन एवं उपयोग के संबंध में शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

उप शासन सचिव

क्रमांक : एफ 8 (11)लेखा/शजसयों/पीडी/स्थानि/08-09/ 1750-2003 दिनांक : 23-4-10

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, समस्त।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अविशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
9. जिला परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/नोडल अधिकारी, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, समस्त।
10. सचिव, नगर सुधार न्यास, समस्त।
11. मुख्य लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।

परियोजना निदेशक

7

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक : एफ 8 (11)लेखा/शजसयों /पीडी/स्थानि/08–09/1515-1527 दिनांक : 23-6-10

जिला कलेक्टर

समस्त।

विषय:– शहरी जनसहभागी योजना अन्तर्गत स्वीकृति जारी करने से पूर्व विभाग की सहमति लिये जाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में शहरी जनसहभागी योजना अन्तर्गत नवीन कार्यों की स्वीकृति जारी करने से पूर्व निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर से सहमति पत्र लिये जाने के उपरान्त ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का श्रम करावें।

उप शासन सचिव

क्रमांक : एफ 8 (11)लेखा/शजसयों /पीडी/स्थानि/08–09/1528-1548 दिनांक : 23-6-10

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
8. जिला परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/नोडल अधिकारी, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, समस्त।
9. सचिव, नगर सुधार न्यास, समस्त।
10. मुख्य लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।

परियोजना निदेशक

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।

क्रमांक : F.8(9)/लेखा/SJSY/DLB/PD/2006-07/17388-17571 दिनांक: 28-2-12

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिकाएं,
सचिव, नगर विकास न्यास,
समस्त राजस्थान।

विषयः— शहरी जनसहभागी योजना के जन सहयोग राशि जमा करने से पूर्व विभागीय सहमति लेने बाबत्।

शहरी जनसहभागी योजना के अन्तर्गत नवीन कार्यों के प्रस्तावों हेतु नियमानुसार जन सहयोग के रूप में निकाय में जमा कराये जाने हेतु वांछित जनसहयोग राशि इस विभाग की पूर्व सहमति एवं राज्यांश उपलब्ध होने के पश्चात् ही स्वीकार की जावे।

उपशासन सचिव

क्रमांक : F.8(9)/लेखा/SJSY/DLB/PD/2006-07/17572-17615 दिनांक: 28-2-12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त।
5. निजी सचिव, मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
6. आयोजना शाखा, निदेशालय जयपुर।
7. सुरक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक : एफ.8( )लेखा/शजसयो/पीडी/स्थानि/2012–13/2702 दिनांक 17-1-2013

आदेश

विभागीय आदेश कमांक एफ.8(11)लेखा/शजसयों/पीडी/स्थानि/08–09/1495–1527 दिनांक 23.04.10 द्वारा शहरी जनसहभागी योजनान्तर्गत नवीन कार्यों की स्वीकृति जारी करने से पूर्व निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर से सहमति पत्र लिये जाने निर्देश जारी हैं। अन्य आदेश संख्या F.8(9)/लेखा/SJSY/DLB/PD/2006–07/17388–17571 दिनांक 28.02.12 द्वारा इस योजना में जन सहयोग राशि जमा करने से पूर्व विभागीय सहमति लेने की अपेक्षा की गई थी। निर्देशानुसार उक्त दोनों आदेशों को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है। शेष प्रावधान यथावत रहेंगें।

उप शासन सचिव

क्रमांक : एफ.8( )लेखा/शजसयों/पीडी/स्थानि/2012–13/2703-976 दिनांक 17-1-2013

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,राज. जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, राजस्थान, समस्त।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकरी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त।
10. सचिव, विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर ।
11. जिला परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/नोडल अधिकारी, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, समस्त।

निदेशक